सरकार	आवेदन शुल्क	सूचना लेय बर अतिरिक्त शुल्क बी.पी.एल. परिवार के आवेदक ला कोनो प्रकार के शुल्क नई लगय।					रिकार्ड निरीक्षण	अदायगी
केन्द्र सरकार	रु 10/–	ए–4 या ए–3 के कागज़ खातिर रु 2/– प्रति पेज	बड़े आकार के कागज़ खतिर सही मूल्य	छपे रिपोर्ट बर तय कीमत या रु 2/– प्रति पेज	फ्लॉपी या सी.डी. बर रु 50/–	सैम्पल/मॉडल बर सही मूल्य	पहला घंटा – निःशुल्क (फोकट) तेकर बाद हर घंटा खातिर रु 5/–	नगदी, बैंक ड्रॉफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप में
छत्तीसगढ़ सरकार	रु 10/–	ए–4 या ए–3 के कागज़ खातिर रु 2/– प्रति पेज	बड़े आकार के कागज़ खातिर सही मूल्य	छपे रिपोर्ट बर तय कीमत या रु 2/– प्रति पेज	फ्लॉपी / सी.डी. बर रु 50/–	सैम्पल या मॉडल बर सही मूल्य	पहला घंटा – 50रु. अउ तेकर बाद हर 15 मिनट बर रु 5/–	नगदी, चालान, नॉन ज्यूडिसीयल स्टाम्प या मनी ऑर्डर के रूप में

➔ सूचना के बताय ले अपराध मन के जांच या अपराधी मन ला पकड़े मं बाधा पैदा होथे **या**

➔ कोनो व्यक्तिगत सूचना जेकर संबंध कोनो लोकहित ले नई हे।

फेर ये छूट मन के दायरा मं आय के बाद भी कहूँ सूचना देय मं लोक हित जादा हे अउ दिगर हित मन ला होवइया नकसान कमती है त अइसन जानकारी दे जाही।

सूचना नई मिले मं काय करे जाय?

- कहूँ लोक सूचना अधिकारी आपसे आवेदन पत्र लेयले इनकार करथे;
- कहूँ समय सीमा के भीतर सूचना नई मिले;
- कहूँ लोक सूचना अधिकारी गलत तरीका ले जादा शुल्क माँगथे;
- कहूँ लोक सूचना अधिकारी ले 30 दिन तक कोनो जवाब नई मिलही;
- लोक सूचना अधिकारी गलत तरीका ले सूचना देय ले इनकार करथे;
- कहूँ लोक सूचना अधिकारी आपके आवेदन पत्र मिले के बाद आपके द्वारा मांगे गेय सूचना ले संबंधित दस्तावेज़ नष्ट कर देथे –

तब संबंधित विभाग मं अपील करंय।

हर लोक सूचना अधिकारी के उपर एक वरिष्ठ अधिकारी ला अपीलीय अधिकारी नामित करे गेय हे। ये अधिकारी मन के सूची अउ पता बर बेबसाइट देखंय –

केन्द्र सरकार – **http://rti.gov.in/ministrynew**
राज्य सरकार – **http://rti.gov.in/state_chhatisgarh**

अपीलीय अधिकारी 30 दिन मं अपील मन उपर निर्णय देय बर बाध्य हावे।

या सूचना आयोग मं लिखित रूप ले सिकइत करंय।

केंद्र सरकार के दफ़्तर मन के मामला मं केंद्रीय सूचना आयोग ला अपन सिकइत भेजंय।

केंद्रीय सूचना आयोग
ब्लॉक नं. 4, पाँचवीं मंज़िल, पुराना जे.एन्.यू. कैम्पस
नई दिल्ली – 110067 (ईमेलः pkgera@nic.in)
फोन/फैक्सः 011-2671 7354

राज्य सरकार या स्थानीय प्रसासन के दफ़्तर मन के बारे मं सिकइत राज्य सूचना आयोग ला भेजंय।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
"निर्मल छाया", बॉटल हाउस के पास
मीरादातार रोड, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़–492001
फोनः 0771–4024406, ईमेलः akvijayvargia@cg.nic.in

अपन बिसेस सक्ति के उपयोग करके सूचना आयोग मामला के जांच खातिर संबंधित अधिकारी मन ला बला सकथे अउ दस्तावेज ला मंगवा सकथे।

सूचना नई देय के कारण ले साबित करे के जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी के हावे।

ऊपर बताय गे स्थिति मं जांच के ज़रिया कहूँ लोक सूचना अधिकारी ला दोसी पाय जाथे त वो दण्ड के हकदार होही। सूचना आयोग हर दिन 250/– रुपिया के हिसाब ले जादाले जादा 25,000/– रुपिया तक के जुर्माना लोक सूचना अधिकारी ले वसूल कर सकथे। कहूँ लोक सूचना अधिकारी लगातार ये कानून के पालन नई करय अउ उल्लंघन करथे त सूचना आयोग वोकर विरुद्ध अनुसासनात्मक कार्यवाही करे बर संबंधित विभाग ला आदेस दे सकथे।

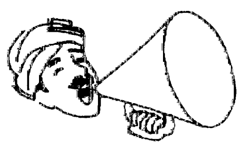

चुनौती – आप मन बर!
आज देश भर मं, सैकड़ों नागरिक, सरकार ले हिसाब माँगत हे। का आप ये जन अभियान ले नई जुड़हू? अपन जाने के हक के उपयोग करव अउ अपन तरक्की के दिसा खुद तय करव।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशियेटिव
बी–117, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली – 110017
फोन नं. : 011–26864678, 26850523
ईमेलः chriall@nda.vsnl.net.in
वेबसाइटः www.humanrightsinitiative.org

सी.एच.आर.आई छत्तीसगढ़ कार्यालय
मकान नं. – 50, सेक्टर – 1, गीतांजली नगर,
रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492 001
फोन नं. : 0771–4011235
ईमेलः prateekconsult@rediffmail.com

छत्तीसगढ़ नागरिक पहल
प्राची विहार, पुराना रोजगार कार्यालय के पास,
कुदुदण्ड, बिलासपुर,
छत्तीसगढ़ – 495 001
फोन नं. : 09425530719
ईमेलः prateekcgci@rediffmail.com

(संरचना, संपादन, अनुवाद एवं फॉर्मेटिंग: भीष्मदेव चतुर्वेदी, प्रतीक पाण्डेय और रंजन कुमार सिंह, दिसम्बर 2006)

सूचना के अधिकार

छत्तीसगढ़ राज्य

जीये के अधिकार

आप बनिया ले हिसाब माँगथव...
दूधवाले ले हिसाब माँगथव...

तब फेर

सरकार ले हिसाब काबर नई माँगव ?

सूचना लेना — हमर मौलिक अधिकार
सूचना दे खातिर — सरकार ज़िम्मेदार

आप मन जानना चाहथव?

- आप ला महिना मं कतका रासन मिलना चाही या फेर आपके रासन के दुकान मं हर महिना कतका रासन आथे?
- आपके गाँव मं पक्की सड़क काबर नई हे या आपके गाँव के सड़क के मरम्मत खातिर कतका पइसा आइस अउ कतिक खरचा होइस?
- आपके घर या कस्बा मं बिजली के सुविधा कब उपलब्ध होही?
- आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (अस्पताल) मं कोन प्रकार के का–का सुविधा मिलना चाही?
- आपके गाँव के स्कूल मं शिक्षक (गुरूजी) काबर नई आवय?
- आपके पास रेहेबर घर नई हे त सरकारी आवासीय योजना के फायदा (लाभ) कइसे उठाहू?
- सरकारी वृद्धावस्था पेंशन योजना पाय के कानूनी तरीका (प्रक्रिया) कइसे है?

आप कतका बेर ये सवाल मन के जवाब सरकारी दफ़्तर मन ले मांगे के कोसिस करेव? तभो ले घेरी बेरी खाली हाथ लहूंट आयेव?

फेर अब स्थिति बदलही। सरकारी अधिकारी मन ला सही जवाब देना परही। काबर कि 12 अक्टूबर 2005 ले पूरा देस मं सूचना के अधिकार कानून लागू हो गे हे।

जउन सूचना आपके विधायक या सांसद ला मिल सकथे, वो सूचना आपला देय से सरकार इनकार नई कर सकय।

सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ के अन्तर्गत

- आप पंचायत ले लेके राष्ट्रपति महोदय के दफ़्तर तक सबो सरकारी कार्यालय मन ले सूचना ले सकथव।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार अउ स्थानिय प्रसासन के हरेक दफ़्तर मं सूचना देय खातिर **लोक सूचना अधिकारी** बनाये गेय हे।
- हरेक **लोक सूचना अधिकारी** आप ला सूचना देय बर बाध्य हे यानि सूचना देना जरूरी है।

भारत एक लोकतांत्रिक देस आवय। आपके वोट ले सरकार चुने जाथे। आपके द्वारा पटाय (अदा) टैक्स के पइसा ले सरकारी कामकाज चलथे। बाज़ार ले जब आप कोनो भी जिनिस बिसाथव त कीमत संग टैक्स तको पटाथव।

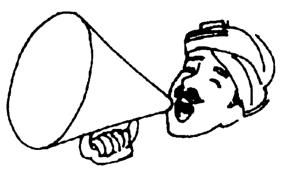

इही टैक्स के पइसा ले सरकारी अधिकारी मन ला वेतन (तनखा)देय जाथे। कल्याणकारी योजना चलाय जाथे।

त जब सरकार आपके अउ पइसा आपके त हिसाब काकर?

अब आप –

- कोनो भी सरकारी फाईल या दस्तावेज ला देख (निरिक्षण) सकथव
- कोनो भी लोक निर्माण काम के निरिक्षण कर सकथव ।
- कोनो भी दस्तावेज के प्रमाणित कॉपी या उद्धरण ले सकथें।
- कोनो भी सामग्री के प्रमाणित नमूना ले सकथव ।
- इलेक्ट्रानिक माध्यम मं उपलब्ध जानकारी के प्रति ले सकथव ।

सूचना कईसे मिलही?

नीचे लिखे प्रकार के सूचना सरकारी दफ़्तर ला खुद घोसित करना परही।

- दफ्तर के सबो अधिकारी अउ कर्मचारी मन के नाम, पदनाम, कर्त्तव्य, सक्ति अउ वेतन ।
- कोनो भी विषय उपर निर्णय (फैसला) लेय के तरीका अउ अपन कर्त्तव्य के पालन बर स्थापित मापदंड ।
- अपन कामकाज मं उपयोग करे जाने वाला नियम, विनियम, मार्गदर्शिका अउ आदेस मन के ब्यौरा ।
- अपन दफ्तर मं उपलब्ध सबो दस्तावेज मन के प्रवर्ग मन के सूची।
- सबो योजना मन बर प्रस्तावित बजट, आबंटित धनरासि अउ तेकर बारे मं रिपोट।
- कल्याणकारी योजना मन ला क्रियान्वित (अमल) करे के तरीका, लाभार्थी मन के सूची अउ आबंटित धनरासि ।
- अपन द्वारा देय गे छूट (रियायत) अउ परमिट पाने वाला मन के सूची ।

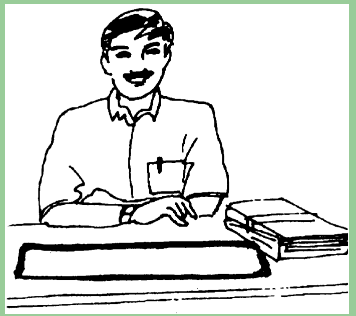

ये सबो जानकारी हरेक लोक सूचना अधिकारी के पास कंप्यूटर मं या किताब के रूप मं रइही । आपके द्वारा मांगे जाये मं लोक सूचना अधिकारी ला ये सूचना तुरते छपे (प्रिंट आउट) हुए या फोटाकापी के माध्यम ले देना परथे । आवेदन पत्र या आवेदन फीस देय के जरूरत नई हे । सिरिफ रु.2/– प्रति पेज के हिसाब ले सुल्क देना परही।

दिगर जानकारी लेय के तरीका (प्रक्रिया)

ऊपर बताय गे जानकारी के अलावा दिगर किसम के सूचना तको **लोक सूचना अधिकारी** ले लेय जा सकथे जइसे–कोनो भी अभिलेख,ज्ञापन,राय,सलाह, प्रेस विज्ञप्ति,आदेस, लॉग बुक, कॉंट्रॅक्ट, रिपोर्ट, नमूना,आंकड़ा, मॉडल आदि।

- आवेदन पत्र लिखित रूप मं आवेदन शुल्क संग संबंधित दफ्तर के लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करना परही । आवेदन पत्र ला डाक या ई–मेल के माध्यम ले भी भेजे जा सकथे । (शुल्क के दर पाछू पन्ना मं देय गेय हे। बी.पी.एल. आवेदक ला मांगे गेय जानकारी फोकट मां दे जाही)
- नीचे बताय गे प्रस्तावित प्रारूप मं सादा कागज मं भी आवेदन पत्र लिख के जमा कर सकथे।

लोक सूचना अधिकारी के पास आप ले जानकारी मांगे के कारण पूछे के अधिकार नई हे । कारण बताय बिना आप कोनो भी प्रकार के सूचना मांग सकथव।

- आवेदन फीस के अलावा लोक सूचना अधिकारी द्वारा तय करेगे अतिरिक्त फीस आप ला जमा करना परही (दस्तावेज मन के फोटोकापी या फ्लापी /सीडी खातिर शुल्क के दर पाछू पन्ना मं दे गे हे)
- आवेदन पत्र जमा होय के 30 दिन के भीतर लोक सूचना अधिकारी सूचना देय खातिर बाध्य है।

कहूँ मागे गेय जानकारी कोनो व्यक्ति के जीवित रेहेले या वोकर आजादी ले संबंधित हावे त 48 घंटा के भीतर देना परही।

<u>आवेदन पत्र ला राजभासा हिन्दी मं लिखे बर हे</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रस्तावित प्रारूप

1. आवेदक का नाम..
2. पूरा पता / फैक्स जिसपर जानकारी मंगवानी है.......................
3. फोन नं................................ईमेल..............................
4. आवेदन देने का दिनांक..
5. कार्यालय का नाम...
6. चाही गई जानकारी का विवरण...
7. क्या चाहते हैं – नकल /कार्य निरिक्षण /रिकार्ड निरिक्षण /रिकार्ड की प्रमाणित प्रति / प्रमाणित नमूना ....
8. आवेदन के साथ अदा किए गए शुल्क –रु.10/– नगदी / चालान रसीद क्र. .... एवं दिनांक ....
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे आते हैं – हाँ / नहीं (यदि हाँ तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक)..

(आवेदक के हस्ताक्षर)

- येकर अलावा आप आवेदन पत्र अउ आवेदन शुल्क दे के संबंधित दफ्तर मं दस्तावेज मन के निरिक्षण तको कर सकथव । (शुल्क के दर पाछू पन्ना मं देय गेय हे। बी.पी.एल. आवेदक ला मांगे गेय जानकारी फोकट मां दे जाही)

लोक सूचना अधिकारी सूचना देय बर इनकार कर सकथे, कहूँ –

- मांगे गे सूचना देय ले देस के प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक अउ आर्थिक हित ला नुकसान पहुँचथे **या**
- कोनो अपराध करे ला प्रेरित करथे **या**
- जेला जाहरित (प्रकटन) करे ले न्यायालय के निंदा होथे या जेकर खुलासा ले कोनो न्यायालय ह प्रतिबंध (बंधेज) लगाय हे **या**
- जेकर खुलासा ले कोनो मनखे के जान ला खतरा पैदा होथे **या**